>

13.30 hrs

MATTERS UNDER RULE 377*

MR. CHAIRMAN: Hon. Members, Matters under Rule 377 shall be laid on the Table of the House. Those Members, who are desirous of laying their matters under Rule 377 on the Table of the House, may send slips at the Table within 20 minutes. Only those matters for which slips have been received at the Table shall be form part of the proceedings and rest of the matters shall be treated as lapsed.

Title: Need to take effective steps to eradicate Pneumonia in the country-laid.

श्री दत्ता मेघे (वर्धा): मैं सरकार का ध्यान इस बात की तरफ दिलाना चाहता हूं कि विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यू.एच.ओ.) के एक ताजे आंकलन के अनुसार विश्व में हर वर्ष 20 लाख बच्चों की निमोनिया से मौत हो जाती है, जिनमें से 27 फीसदी यानि करीब तीन लाख बच्चों की मौत भारत में होती है। निमोनिया की भयानकता के मामले में अफगानिस्तान, पाकिस्तान, चीन और बांग्लादेश के बाद भारत का स्थान आता है। निमोनिया के प्रति लोगों का ध्यान आकर्षित के लिए 2 नवम्बर को पहली बार विश्व निमोनिया दिवस मनाने का फैसला किया गया है। वास्तविक स्थिति यह है कि निमोनिया से होने वाली मौतें एड्स, खसरे और मलेरिया से होने वाली मौतों से कहीं अधिक हैं, लेकिन नीतिगत स्तर पर इससे निपटने के लिए खास कुछ नहीं हो रहा है।

निमोनिया के खिलाफ बने वैश्विक मोर्चे की तरफ से दुनिया भर में यह पहल की जा रही है कि सरकारों का ध्यान निमोनिया के उपचार और इसके बचाव के लिए टीकाकरण कार्यक्रम की तरफ आकर्षित करना है। विश्व स्वास्थ्य संगठन की एक रिपोर्ट के अनुसार भारत में हर मिनट में निमोनिया से एक बच्चे की मौत हो जाती है।

इसलिए मेरा सरकार से यह निवेदन है कि जिस प्रकार से अन्य बीमारियों के लिए सरकार टीकाकरण का अभियान चलाती है, उसी प्रकार से निमोनिया के उन्मूलन के लिए भी प्रभावकारी एवं कारगर कदम उठाये जाने चाहिए।